हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 143

मंगलवार, 28 मार्च, 2017/7 चैत्र, 1939(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. **प्रश्नोत्तरः**

(i) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्या 3936 से 3939, 3942 तथा 3943 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 3940 तथा 3941 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 3944 से 3974 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1681 से 1697 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12-00 PM

2. **कागजात सभा पटल परः**

(1) **श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2015-16;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित);

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज़ पैकेज़िग लिमिटेड का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14(विलम्ब के कारणों सहित); और

(iv) हिमाचल प्रदेश कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 45(4) के अन्तर्गत डा0 वाई0एस0 परमार, औद्योनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(2) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री द्वारा प्राधिकृत श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 161(3) तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255(1) के अन्तर्गत शहरी सथानीय निकायों के अवधि 4/2015 से 3/2016 के दौरान ज़ारी किए गए अंकेक्षण प्रतिवेदनों का संकलित समीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री** ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 65(2) के अन्तर्गत विकलांगता पर वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदनः</u>

(1) **श्री राकेश कालिया, सदस्य, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **174वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/सिविल) पर आधारित तथा **शहरी विकास विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **175वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/सिविल) पर आधारित तथा **शहरी विकास विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **176वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **23वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यों एवं आय-व्ययक आंकड़ों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **24वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों एवं आय-व्ययक प्राक्कलनों की संविक्षा पर आधारित है तथा **शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है।

(3) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति का **70वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि हिमाचल प्रदेश राज्य उद्यान उपज विपणन एवं विधायन निगम सीमित की गतिविधियों के समस्तरी अध्ययन (Horizontal Study) पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(4) **श्री गुलाब सिंह ठाकुर, सभापति, अधिनस्थ विधायन समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **नवम् मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) जोकि बारहवीं विधान सभा के ग्यारहवें, बारहवें एवं तेरहवें सत्रों के दौरान सांविधिक संगठनों, सरकारी कम्पनियों व अन्य स्वायतशासी संगठनों द्वारा सभा पटल पर उपस्थापित वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **दशम् मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) जोकि बारहवीं विधान सभा के ग्यारहवें, बारहवें एवं तेरहवें सत्रों के दौरान उपस्थापित किए गए नियमों की समिति द्वारा संवीक्षा से सम्बन्धित है।

(5) **श्री राकेश कालिया, सभापति, जन प्रशासन समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **28वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 12वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **आबकारी एवं कराधान विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **29वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सहकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **30वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **सैनिक कल्याण विभाग** की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है।

(6) **श्री कुलदीप कुमार, सदस्य, मानव विकास समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **22वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में **योजना विभाग** द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(ii) समिति का **23वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है।

4. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः</u>

श्री गुलाब सिंह ठाकुर ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"दिनांक 23 मार्च, 2017 को दैनिक जागरण समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक "**सिर और टांगें काटकर तेंदुआ फेंक गए शिकारी**" से उत्पन्न स्थिति।

माननीय वन मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 27.03.2017 को मांग संख्याः 9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर हो रही चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा किए गए वॉक आउट पर निम्नलिखित निर्णय दियाः-

"कल दिनांक 27 मार्च, 2017 को मांग संख्याः 9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा किया गया बहिर्गमन नियमों के विरूद्ध एवं संसदीय परम्पराओं के अनुसार नहीं था क्योंकि विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 196 के प्रावधान के अनुसार अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष का कोई भी सदस्य भाग ले सकता है। कौल और शकधर द्वारा पद्धति और प्रक्रिया पुस्तिका में उल्लेख किया गया है कि संसदीय परम्परानुसार सत्ताधारी दल के सदस्य अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव की न तो सूचना देते हैं और न ही कटौती प्रस्ताव पेश करते हैं। लेकिन वे मांगों पर चर्चा में भाग ले सकते हैं और अपने भाषणों में सरकार की नीति अथवा किसी व्यय के औचित्य अथवा वित्तीय सम्भावनाओं की आलोचना कर सकते हैं या उन पर प्रश्न उठा सकते हैं। अतः विपक्ष का यह कहना कि कटौती प्रस्तावों पर केवल विपक्ष के सदस्य ही चर्चा में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल निराधार है और नियमों के विपरीत है क्योंकि पिछले कल मांग संख्याः9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर मांग तथा कटौती प्रस्ताव दोनों को चर्चा हेतु लाया गया था।

मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो कट मोशन्ज़ हैं, इसमें डिमाण्डज पर anybody can speak. कट-मोशन्ज़ ऑपोजिशन के माननीय सदस्य देते हैं, but sometimes as per the past precedents even the Ruling Party Members also give Cut Motions but they did not move it."

5. **<u>वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान।</u>**

मांग संख्या : 9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

दिनांक 27.03.2017 को मांग संख्या:9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर हुई चर्चा का माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने उत्तर दिया।

(माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री के उत्तर से असंतुष्ट विपक्ष ने अपराह्न 1.30 बजे सदन से वॉक आउट किया।)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित क्रमशः 16,01,65,30,000/- और 67,28,00,000/- रूपए की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हुए।
मांग पूर्ण रूप से पारित हुई

मांग संख्या : 10-लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन

मांग संख्याः 10 प्रस्तुत हुई समझी गई।

(सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए गए।)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 10-लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित क्रमशः 28,39,11,81,000/- और 10,62,12,10,000/-रूपए की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

प्रस्ताव स्वीकार।
मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

मांग संख्या : 8-शिक्षा

मांग संख्याः 8 प्रस्तुत हुई समझी गई।

(सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए गए।)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 8-शिक्षा के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित क्रमशः 53,91,89,95,000/- और 61,29,02,000/- रूपए की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

प्रस्ताव स्वीकार।

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

(अपराह्न 1.40 बजे सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 29 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)